

प्रादेशिक अधिकारी

20.3.25

वकील द्वारा उपस्थित। डिडी अगुका इन्तकाल
स्वीकृत होना कलाप। प्रार्थना-पत्र में कापवाही
शेष न ही होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया
जाता है। प्रकाशनी नंबर से फट होकर दालिबल
दफ्तार हो।

आदेश सरे इजलाह हुनापा गपा।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)



GCMS
2016/00193